

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/648

04.11.2025

प्रति

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

अभिवादन!

प्रिय महोदय/महोदया,

**विषय: निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों एवं करों की छूट (आरओडीटीईपी) तथा राज्य एवं केंद्रीय करों एवं शुल्कों की छूट (आरओएससीटीएल) दरों की समीक्षा के लिए डेटा का अनुरोध।**

यह हमारे पूर्व परिपत्र संदर्भ **Plexh/Cir/600** दिनांक **10/10/2025** का संदर्भ है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने आदेश संख्या 602/5/2025 दिनांक 01.10.2025 के माध्यम से RoDTEP और RoSCTL योजनाओं के अंतर्गत अनुशंसित अधिकतम दर अनुसूचियों को अद्यतन करने हेतु एक समिति का गठन किया था। इस संबंध में, समीक्षा प्रक्रिया हेतु आँकड़े प्राप्त करने हेतु एक प्रारूप प्रपत्र प्रसारित किया गया, जिसके लिए सुझाव/टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं। प्रारूप प्रारूप और सामान्य दर समीक्षा प्रक्रिया पर हितधारकों के साथ परामर्श 30 अक्टूबर, 2025 को आयोजित किया गया।

**प्राप्त इनपुट के आधार पर, विभाग ने प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया है (प्रारूप यहां से डाउनलोड करें - [https://membership.plasticsepc.org/emails\\_images/20251104051842.xlsx](https://membership.plasticsepc.org/emails_images/20251104051842.xlsx)**

**उपरोक्त डेटा ( अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025) प्रदान करते समय , निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए:-**

क) प्रदान किया गया डेटा निर्माता और उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

(ख) डेटा को प्रतिनिधि दस्तावेजों की प्रतियों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, जैसे कि उपयोग किए गए इनपुट के कर चालान, निर्यात उत्पाद के शिपिंग बिल, राज्य सरकार, बिजली शुल्क, मंडी कर आदि जैसे करों/शुल्कों के बारे में अधिसूचनाएं।

ग) इस प्रारूप में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि:

- भाग-1 विनिर्माण इकाई से संबंधित सामान्य जानकारी है।
- भाग-2 में दी गई जानकारी RODTEP योजना के अंतर्गत आने वाली मदों से संबंधित है।
- भाग-3 में दी गई जानकारी आरओएससीटीएल योजना के अंतर्गत आने वाले निर्यात माल के लिए दी जानी है।

आपसे अनुरोध है कि आप दिनांक 19.11.2025 तक [bharti@plexconcil.org](mailto:bharti@plexconcil.org) ; [shilpa@plexconcil.org](mailto:shilpa@plexconcil.org) पर अधोहस्ताक्षरी को डेटा उपलब्ध कराएँ। प्रस्तुत डेटा की एक प्रति MS Excel प्रारूप में ईमेल भी की जानी चाहिए।

सादर,

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

**प्लेक्सकॉन्सिल**

-----उद्धरण-----

**संदर्भ संख्या:** प्लेक्स/सर्किल/600

10/10/2025

प्रति

प्लेक्सकॉन्सिल / सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

**विषय: RoDTEP समिति 2025 के गठन के संबंध में और निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (RoDTEP) और राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (RoSCTL) दरों की छूट की समीक्षा के लिए डेटा प्रारूप पर टिप्पणियों का अनुरोध**

भारत सरकार ने निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना और राज्य एवं केंद्रीय करों और शुल्कों की छूट (आरओएससीटीएल) योजना के तहत अधिसूचित छूट दरों की समीक्षा और अद्यतन करने के लिए आरओडीटीईपी समिति 2025 का गठन किया है।

**संदर्भ की शर्तें**

समिति के प्रमुख कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए), निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू), विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) और अग्रिम प्राधिकरण (एए) योजनाओं के तहत निर्यात के लिए आरओडीटीईपी और आरओएससीटीएल दरों पर विचार एकत्र करने के लिए मंत्रालयों, निर्यात संवर्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्डों, व्यापार निकायों और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत करना।
- निर्यातित उत्पाद पर लगने वाले शुल्कों/करों/उपकरों की गणना के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर तौर-तरीके तय करना, जिसमें निर्यातित उत्पाद के उत्पादन में प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओं पर पूर्व चरण के संचयी अप्रत्यक्ष कर और निर्यातित उत्पाद के वितरण के संबंध में ऐसे अप्रत्यक्ष शुल्कों/करों/उपकरों का समावेश हो, और अपनी रिपोर्ट में डीटीए, एए, ईओयू और एसईजेड निर्यातों के

लिए आरओएससीटीएल और आरओडीटीईपी योजनाओं के अंतर्गत अधिकतम दरों की सिफारिश करना। समिति डीटीए, एए, ईओयू और एसईजेड निर्यातों पर ऐसे शुल्कों/करों/उपकरों के प्रभाव और अन्य प्रासंगिक कारकों को, जैसा उचित समझा जाए, ध्यान में रख सकती है।

- विभिन्न निर्यात श्रेणियों के लिए RoDTEP और RoSCTL योजनाओं के अंतर्गत अधिकतम दरों की सिफारिश करना।
- संशोधित दर अधिसूचनाओं के बाद उत्पन्न मुद्दों पर अनुपूरक रिपोर्ट उपलब्ध कराना।

(नोट: यदि आवश्यक हो तो अनुपूरक रिपोर्ट, अधिसूचना के बाद किसी भी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, क्रमशः RODTEP और ROSCTL योजनाओं के तहत संशोधित दरों की अधिसूचना के छह सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है।)

- यह जांच करना कि क्या RODTEP, ROSCTL योजनाओं और ड्रॉबैक अनुसूची के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के लिए मौजूदा दरों/सीमाओं में किसी और संशोधन की आवश्यकता है, जिनमें 01.05.2025 से प्रभावी सीमा शुल्क टैरिफ अनुसूची में लाए गए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, विवरण या सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक में परिवर्तन हुआ है।

समिति ने 9 अक्टूबर 2025 को अपनी पहली बैठक आयोजित की और निर्यातकों द्वारा डेटा प्रस्तुत करने के लिए एक मसौदा प्रारूप अपनाया।

### इनपुट के लिए अनुरोध

मसौदा डेटा प्रारूप की एक प्रति **अनुलग्नक बी के रूप में यहां से डाउनलोड की जा सकती है।**

[https://membership.plasticsepc.org/mails\\_images/20251010053509.xlsx](https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20251010053509.xlsx)

समिति **01.04.2024 से 31.03.2025** की अवधि को कवर करने वाले ऑडिट किए गए डेटा के प्रारूप पर आपके बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित करती है।

कृपया अपनी टिप्पणियाँ और सुझाव **23 अक्टूबर 2025 तक या उससे पहले** निम्नलिखित ईमेल पत्तों पर भेजें:

- [bharti@plexconcil.org](mailto:bharti@plexconcil.org) ; [shilpa@plexconcil.org](mailto:shilpa@plexconcil.org)

आपकी समय पर दी गई प्रतिक्रिया डेटा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को परिष्कृत करने में सहायता करेगी और उद्योग के दृष्टिकोण का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में मदद करेगी।

आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

सादर,

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल